उ.पू.अ.म.-३/मुख्यालय-51/2018-19/ 338-42



भारत सरकार Government of India

Government of India केन्द्रीय जल आयोग

Central Water Commission उत्तर-पूर्वी अन्वेषण मण्डल-३,ईटानगर

North Eastern Investigation Division—III, Itanagar



दूरभाष / Phone: 0360-2203510 फैक्स / Fax: 0360-2203510

ई-मेल / E-Mail: exencwc@rediffmail.com

पोस्ट बॅाक्स संख्या—144/P.O.Box No.-144, चिम्पू/ Chimpu, ईटानगर/ Itanagar-791111 अरुणाचल प्रदेश /Arunachal Pradesh. दिनांक.07/04/2018

कोटेशन आंमत्रण सूचना (NOTICE INVITING QUOTATION)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से साखदार कम्पनियों के उत्पादों के उत्पादकों तथा आपूर्तिकर्ताओं व पात्र आपूर्तिकर्ताओं (जो निम्नलिखित निबंधन व शर्ते पूरी करते हों) से मुहरबन्द कोटेशन निम्नलिखित सामानों के लिए आमंत्रित किए जाते हैं ।

For and on behalf of the President of India, sealed quotations are invited for supply of the following items by the undersigned from the authorized/ reputed firms as per the following terms and conditions:-

SINO	Name of Article	Unit	Quantity
1	Multi Gym (commercial 5 station) AVON-MG 1145	Nos	1
2	Upright Bike AVON UP-917	Nos	1
3	Spin Bike AVON SP-2201	Nos	1
4	Multi Stepper AVON MT-1511	Nos	1
5	Dual Twister AVON ST-1505	Nos	1
6	Multi Bench AVON P-1321	Nos	1
7	Hax Dumble- (2.5 kg 2 pair, 05 kg 2 pair 7.5 kg 2 pair, 10 kg 1 pair & 12.5 kg 1 pair)	kg	105
8	Jump Rope (Skipping)	Nos	3
9	PVC Yoga Mat	Nos	3
10	Push up Stand	Nos	2
11	Olympic Bar-07 ft.	Nos	1
12	Olympic Bar-05 ft.	Nos	1
13	Olympic Bar-03 ft.	Nos	1
14	Olympic Bar-04 ft.	Nos	1
15	Olympic plate (2.5 kg 2 pair, 5 kg 2 pair, 7.5 kg 2 pair, 10kg 1 pair, 10 kg 1 pair, 12.5 kg 1 pair)	kg	105
16	Sit Up Bench	Nos	1
17.	Flat Bench	Nos	1

नियम एंव शर्ते (Terms &Conditions):-

1. हस्ताक्षरित व मुहरबन्द कोटेशन इस कार्यालय को दिनांक 14/04/2018 शांय 15:00 बजे या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए जो उसी दिन शांय 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आपूर्तिकर्ता या उनके प्रतिनिधि (जो उपस्थित रहना चाहें) की उपस्थित में खोली जाएगी ।

	The quotation alongwith brochure confirming to specifications duly signed should reach this office on or before 15:00 hours of			
	14-04-2018 and will be opened on the same day at 16:00hours in the presence of supplier or their authorized representatives.			
2.	दरें आपूर्ति स्थल यथा : अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय, उत्तर—पूर्वी अन्वेषण मण्डल—3, केन्द्रीय जल आयोग, ईटानगर पर सामाग्रियों की आपूर्ति में होने वाले सभी			
	प्रकार के प्रभार; जैसे पैकिंग, किराया, बीमा (यदि कोई हो) को सम्मिलित करते हुए उद्वरित की जानी चाहिए ।			
	The rates are to be quoted F.O.R. destination inclusive of installation, packing, forwarding, freight, insurance, if any, at the office of the Executive Engineer, North Eastern Investigation Division-III, CWC, Chimpu, Itanagar-791111.			
3.	कोटेशन मुहरबन्द लिफाफे में रखी जानी चाहिए तथा लिफाफे पर कार्य का नाम लिखा होना चाहिए ।			
	The sealed quotation cover should be super scribed with the words "Quotation for Supply of Gym equipments".			
4.	भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम या किसी अन्य कोटेशन स्वीकार करने के लिए अपने आपको आबद्व नहीं करते हैं और प्राप्त सभी कोटेशन या किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ।			
	On behalf of the President of India, undersigned reserves the right to reject any or all the quotations and to alter the quantity without assigning any reasons thereof.			
5.	दशाये गये कार्य/शर्तों की मात्रा कार्यादेश / पूर्ति आदेश के समय घट अथवा बढ सकती है ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता कथित दर पर निष्पादन हेत् बाघ्य होगा ।			
	The quantity may be decreased / increased at the time of supply order for which the agency should bind to supply material.			
6.	कोटेशन के रेट 90 दिनों तक बाध्य होगें ।			
	The rates shall be valid for 90 days minimum from the date of opening of the quotation.			
7.	पूर्ति आदेश जारी होने के 7 दिनों में पूर्ति करना चाहिए ।			
	The materials should be supplied & within 7 days from the date of issue of supply order.			
8.	पूर्ति किया गया सामान दोष रहित व विनिर्देशों के अनुरुप होना चाहिए अन्यथा पूर्ति अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा पूर्तिकर्ता स्वयं के खर्चे से विनिर्दिष्ट सामान उपलब्ध कराने हेत् बाध्य होगा ।			
	The material should be as per Indian Standard and free from defect and if found not suitable the same shall be asked for replacement at the cost and risk of supplier.			
9.	दरों का उल्लेख शब्द तथा अंक दोनों में किया जाना होगा ।			
	Rates should be mentioned both in word and figures.			
10.	पूर्ति के साथ प्री स्टैम्पड रसीद बिल (तीन प्रतियों में) भेजना चाहिए तदोपरांत भुगतान चेक/ डिमांड ड्रापट /ई–पेमेन्ट द्वारा किया जाएगा ।			
	The payment will be made by e-payment mode after receipt of material in full and in good condition.			
11.	पूर्ति हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कोड व विनिर्नेश तथा अन्य संबंधित कोड पूर्ति कार्य निष्पादन हेत् बाध्य होगा।			
	Any other rules of CPWD codes and its amendment as applicable will be binding on the successful bidder.			
12.	सभी काट व अधिलेखन हस्ताक्षरित होनी चाहिए ।			
	All the corrections and over writings should be duly attested.			
13.	सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स आदि की कटौती आवश्यक्तानुसार कर ली जाएगी ।			
	Taxes as applicable will be deducted from the bill at the time of payment.			
14.	उद्घरित दरे सभी करों व उपकरों से युक्त होना चाहिए तथा इस प्रकार की किसी भी मद हेतु अलग से कोई भी दावा स्वीकार्य नही होगा ।			
	The rates quoted should include all the taxes and surcharges. No other claims will be entertained in this regard.			
15.	कोटेशन के मामले में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रेरण पूर्णतया निषिद्व है ।			
	Canvassing whether directly or indirectly is strictly prohibited.			
16.	पूर्ति के लिए निर्धारित समय महत्वपूर्ण होगा तथा समय–वृद्धि केवल संतोष जनक व अपरिहार्य परिस्थिति में दिया जायेगा ।			
	Time allowed for completion will be essence of quotation. Extension of time will be allowed only after submission of sufficient reasons of delay.			

Lom

अधिशासी अभियन्ता (Executive Engineer) भारत के राष्ट्रपति की ओर से (For and on behalf of President of India)

प्रतिलिपि-

- 1. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर पूर्वी अन्वेषण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, शिलांग
- 2. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर-पूर्वी अन्वेषण मण्डल-1,केन्द्रीय जल आयोग, सिलचर ।
- 3. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर-पूर्वी अन्वेषण मण्डल-2,केन्द्रीय जल आयोग, आइजील ।
- 4. लेखा शाखा, उत्तर-पूर्वी अन्वेषण मण्डल-3, केन्द्रीय जल आयोग, ईटानगर ।
- सूचनापट्ट, उत्तर-पूर्वी अन्वेषण मण्डल-3, केन्द्रीय जल आयोग, ईटानगर ।

Jon

अधिशासी अभियन्ता (Executive Engineer)

